

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्यावन'

[18/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 1875]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क. 1875
द्वारा माननीय विधायक, श्री मुकेश नायक

परिशिष्ट 'अ'

क्र.	उद्योग का नाम	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधि. का नाम	रिमार्क
1 (अ)	मे. इटोरी स्टोन केशर, ग्राम-सप्तईया, तह. पवई, जिला-पन्ना	23.02.2003	श्री अरुण मिश्रा,	सम्मति जारी पत्र क. 798, 800 दि. 31.03.2003
(ब)	मे. राधिका ट्रेडर्स, (पूर्व नाम- इटोरी स्टोन केशर,)	16.06.2012 15.07.2013 08.06.2014	श्री आर.के.रोहिताश श्री आर.के.रोहिताश श्री आर.के.रोहिताश	उत्पादन प्रारंभ दि. 05.06.2009, नाम परिवर्तन के साथ सम्मति नवीनीकरण पत्र क. 827, 828 दि. 24.07.2012 वैद्यता दि. 30.04.2016
2	मे. ओम श्री गणेश स्टोन केशर, ग्राम-गनियारी, तह. पवई, जिला-पन्ना	24.07.2008	श्री आर.के.रोहिताश	सम्मति जारी पत्र क. 1662, 1663 दि. 25.07.2008 वैद्यता दि. 31.12.2009, उद्योग को बोर्ड के पत्र क. 2588 दि. 11.02.2016 द्वारा जल/वायु अधिनियम की धारा 33-क- एवं 31 -क- के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
3 (अ)	मे. विज्ञाश्री स्टोन केशर, ग्राम- कोलकरईया, तह. पवई, जिला-पन्ना	02.03.2012	श्री आर.के.रोहिताश	स्थापना सम्मति जारी पत्र क. 2879 दि. 29.03.2012
(ब)	मे. जे.पी.स्टोन केशर, (पूर्व नाम-विज्ञाश्री स्टोन केशर,)	03.02.2015	श्री आर.के.रोहिताश	नाम परिवर्तन के साथ उत्पादन सम्मति जारी पत्र क. 3143, 3144 दि. 31.01.2015 वैद्यता दिनांक 31.12.2015, उद्योग को कारण बताओ नोटिस पत्र क. 2802 दि. 03.03.2016 द्वारा जारी किया गया है।
4	मे. माँ कलेही स्टोन केशर, ग्राम-टाँई, तह. पवई, जिला-पन्ना	27.08.2005	श्री अरुण मिश्रा	सम्मति जारी पत्र क. 2066, 2068 दिनांक 19.09.2005, उद्योग को बोर्ड द्वारा पत्र क. 2590 दि. 11.02.2016 द्वारा जल/वायु अधिनियम की धारा 33-क- एवं 31 -क- के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(Handwritten signature and stamp)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग